तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पाबूराम बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) सू.अ.अ.अपील सं0 50/2023 (ऑन लाईन नं0 35345939023577)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.24	अपीलार्थी पाबूराम पुत्र कालूराम, निवासी ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर (ग्रामीण) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.10.23 में उसके द्वारा (1) प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरूआत आपके उपखण्ड क्षेत्र में किस वर्ष से शुरू हुई, उस वर्ष की प्रमाणित सूचि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 1338 दिनांक 21.12..2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था, जिससे प्रार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं हो सका। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि अपीलार्थी [illegible] प्रासंगिक अपील के संदर्भ में चाही गई इस सूचना इस कार्याल[illegible]ांक उखअबि/सूचना अधिकार/2023/1436 दिनांक 21.12.2023 के [illegible] प्रार्थी/अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है अतः अपील का नि[illegible] किया जाय। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अ[illegible]र प्रार्थी का आवेदन प्रा[illegible] नहीं हुआ, संभवत् अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा आवेदन आनलाईन प्रेषित किया गया अतः लोक सूचना अधिकारी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदनों का निस्तारण नियत अवधि में करें। उपरोक्तापुर अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:20 IST
Reason: SelfAttested